न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 26/2023 तारीख रजू:–04.10.2023

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2023/66

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. केदार पुत्र मोहरपाल मीना
2. भंवरलाल पुत्र मोहरपाल मीना
3. सांवलराम पुत्र मोहरपाल मीना
   निवासीयान डिडायच, तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रामखिलाड़ी पुत्र श्योजी मीना
2. मथुरा पुत्र हीरा मीना
   निवासीयान डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

–अप्रार्थीगण

उपस्थित::–

वकील प्रार्थीगण :–श्री अब्दुल वहाब एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2:– एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक:–18.02.2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–
   - प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 709 रकबा 3.35 है0, जो कि ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित है, पर जाने का कदीमी रास्ता खसरा नंबर 701 रकबा 0.55 है0 व खसरा नंबर 711 रकबा 2.01 है0 की बीच की मेड़ पर होकर खसरा नंबर 709 में जाने का रहा है। इसलिये खसरा नंबर 709 रकबा 3.35 है0 पर आवागमन हेतु खसरा नंबर 701 रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 711 रकबा 20.01 की बीच मेड़ से होकर 15 फीट चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाया जाकर नक्शा शीट में अंकन फरमाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:58 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस [illegible] प्रार्थीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया।
3. अप्रार्थीगण के बावजूद तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 23.07.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2024/1541 दिनांक 26.07.2024 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है कि–

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 709 रकबा 3.35 है0 पर पहूंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।
- उक्त खसरा नंबर पर पहुंच हेतु खसरा नंबर 611/1171 गै0मु0 रास्ता ग्राम डिडायच से सुरेली जाने वाली सड़क से खातेदारी खसरा नंबर 701 रकबा 0.55 किस्म बारानी 1 एवं खसरा नंबर 711 रकबा 2.01 है0 किस्म चाही 3 में से होकर खसरा नंबर 709 पर पहुंचा जा सकता है, जो कि निकटतम दूरी का रास्ता है।
- उक्त खसरा नंबर पर पहुंच के लिये ग्राम डिडायच के खातेदारी खसरा नंबर 701 में से 45 मीटर लम्बा 2 मीटर चौड़ा, खसरा नंबर 711 में से 45 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा अर्थात कुल 180 वर्गमीटर भूमि में से रास्ता दिया जाना उचित होगा।
- रास्ते में दी जाने वाली कुल भूमि 180 वर्गमीटर, जिसकी डीएलसी दर के अनुसार राशि 9162/- रूपये का दुगुना 18324/- रूपये अप्रार्थीगण को दिये जाकर रास्ता दिये जाने की अभिशंषा की जाती है।
- रास्ते का प्रस्ताव निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा	डीएलएसी दर अनुसार भुगतान X 2
1	711	90 वर्गमीटर	9162
2	701	90 वर्गमीटर	9162
योग		180 वर्गमीटर	18324

5. बहस बकुलाय सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जवाब में अंकित कथनो का दोहरान किया।

6. मैंने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 709 रकबा 3.35 है0 पर पहूंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण अपने पड़ोसी खातेदारों की कृषि भूमि से रास्ता लेने का अधिकार रखते हैं। इसके लिये निर्धारित प्रतिकर राशि दिये जाने में प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

8. प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगणों को पड़ोसी खातेदारों की कृषि भूमि से रास्ता दिया जाना अत्यावश्यक है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:58 IST
Reason: SelfAttested

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे प्रार्थीगण की ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 709 रकबा 3.35 है0 पर आवागमन हेतु रास्ते के लिये दी जाने वाली भूमि का संबंधित खातेदारी को दुगुना प्रतिकर दिलवाया जाकर निम्नानुसार रास्ता उपलब्ध करवाया जाकर उसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया जावे–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा	डीएलएसी दर अनुसार भुगतान X 2
1	711	90 वर्गमीटर	9162
2	701	90 वर्गमीटर	9162
योग		180 वर्गमीटर	18324

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 18.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:58 IST
Reason: SelfAttested